

भाग-2

(सम्बन्धित उप-वन संरक्षक भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या

7	परियोजना / स्कीम का स्थान	एन.एच.-91 के कि०मी० 9.0 से 19.0 (दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा, गाजियाबाद) तक मेट्रो रेल का निर्माण कार्य।
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(ii)	जिला	गाजियाबाद
(iii)	वन प्रभाग	गाजियाबाद
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	0.2107 है०
(v)	वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन क्षेत्र
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.86
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि क्षेणिवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल० 4 मी० पर भी संलग्न किया जाये।	नहीं
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	कोई संवेदनशील नहीं है
(ix)	वेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	रिक्त
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी फोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव गार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जाये)	नहीं
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं। (यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दे)	नहीं
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, (यदि हां तो तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें)	नहीं

8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग 1 कॉलम-2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजन के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नहीं तो जंचे गये विकल्पों के ब्यौरे के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है?	संलग्न है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं?	नहीं
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अविकसित वन क्षेत्र आस-पास के वन इसकी दूरी, भू-खण्ड का आकार।	संलग्न है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अविकसित वन क्षेत्र आस-पास के वन इसकी दूरी, भू-खण्ड का आकार।	संलग्न है।
(iii)	रोपित की जानी वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय	---
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप-वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)	संलग्न है।
11	उपवन संरक्षक/प्रभागीय वन अधिकारी की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कॉलम-7 (11, 12) 8 व और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।

12	विभाग/जिला प्रोफाइल	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	450.65 वर्ग कि०मी०
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	680 है०
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	5 मामले 47.8332 है०
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि (ख) वनेत्तर भूमि पर	112.5532 है० रिक्त 47.8332 है०
(v)	अद्यावधिक स्थिति तक प्रतिपूरक वृक्षारोपण की प्रगति (क) वन भूमि (ख) वनेत्तर भूमि पर	- 47.8332 है०
13	प्रस्ताव को स्वीकृति करने अथवा प्रस्ताव की अन्यथा लेने के संकेत में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	एन.एच.-91 के कि०मी० 9.0 से 19.0 (दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा, गाजियाबाद) तक मेट्रो रेल का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। अतः याचक विभाग द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु धनराशि एवं केन्द्र द्वारा निर्धारित एन०पी०वी० एवं भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप धनराशि के भुगतान करने की स्थिति में प्रस्ताव को स्वीकृत करने की संस्तुति स्वीकृत करने करने की संस्तुति की जाती है।

तिथि:- 3/12/2014

स्थान:- गाजियाबाद

हस्ताक्षर

नाम जोगा सिंह

मोहर

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
(गाजियाबाद)